न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 1/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1मुकेश जोशी पुत्र रामवल्लभ जोशी जाति ब्राह्मण निवासी खजवाना। फर्म–रिद्धी सिद्धी विनायक किराणा स्टोर बस स्टेण्ड, खजवाना। 2सुशीला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद फर्म–खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, बस स्टेण्ड के सामने मेडतासिटी। 3जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल फर्म–बाबा ऑयल इण्डस्ट्रीज, यादव ट्रॉसपोर्ट की गली, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ – 305801 4कमल नारायण फर्म–बाबा ऑयल इण्डस्ट्रीज, यादव ट्रॉसपोर्ट की गली, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ – 305801 5तेज नारायण फर्म–बाबा ऑयल इण्डस्ट्रीज, यादव ट्रॉसपोर्ट की गली, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ – 305801 6सुशीला देवी फर्म–बाबा ऑयल इण्डस्ट्रीज, यादव ट्रॉसपोर्ट की गली, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ – 305801

आदेश दिनांक : 19.01.18

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 16-10-14 को सुबह 12-00 बजे (PM) गश्त चैंकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म पर पहुंचा। जहां पर प्रार्थी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया परिचय पत्र दिखाया विक्रेता से वर्ष 2014 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो मौके पर मौजूद था।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर मिर्च पाउडर "श्री निराला" 500 ग्राम पोली पेक में लगभग 20–25 पेकेट रखे हुए थे, निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए 2 किग्रा (4 पैकेट मूल अवस्था में 4 x 500 gm) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर "श्री निराला" खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि यह नमूना वह वास्ते जांच FSSA Act के तहत खरीद रहा है। विक्रेता को रूपए 380/– तीन सौ अस्सी रू. मात्र नगद देकर खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर "श्री निराला" 2 किलोग्राम (4 पैकेट मूल अवस्था में 4 x 500 gm) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को चार साफ सूखी खाली जारों को दिखाकर खरीदसुदा मिर्च पाउडर साफ सूखे एवं हाथो से तोलकर, हिला मिला कर एक रूप कर बराबर मात्रा चारो जारों में मिर्च पाउडर वास्ते जांच भरा एवं प्रत्येक जारो को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया। विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये। जिस पर डीओ कोड व सीरीयल नंबर क्यू–680 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज क्यू–680 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पैंदों तक नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गॉठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

एवं एक धागे की गांठ लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाए। गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी ने व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई।

2(4).यह है कि क्यू–680 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में उम्मेद सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागौर के साथ दिनांक 17-10-14 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(5).यह है कि क्यू–680 के नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नम्बर कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा क्यू–676 नमूना सील बंद कर प्रार्थी ने अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 17-10-14 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(6).यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/658/एक्ट/2014/677 दिनांक 07-11-14 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–680 खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण मिसब्राण्ड (Mis Branded) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-02-2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2 से 6 की ओर से श्री ओम प्रकाश पुरोहित एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब दिनांक 04.08.16 में बताया कि अप्रार्थी ने उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 पर मिथ्या एवं मनगढत आरोप लगाये है। अप्रार्थी सं. 1 ने एफएसएसए की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) कोई उल्लंघन नही किया है। जिससे उस पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगाना उचित नही है। अप्रार्थी सं. 1 पूर्ण रूप से निर्दोष है। उसे तुरंत आरोप मुक्त किया जावे। अप्रार्थी सं. 2 से 6 ने अपने जवाब दिनांक 08.07.16 मे बताया कि मिर्च पाउडर खरीद का कथन किया गया है एवं जो परिवादी ने मिर्च के चार पेकेट मूल अवस्था में अभियुक्त से खरीदे, उन पेकेट पर क्या क्या अंकित था, जैसे निर्माण की दिनांक, एक्पायरी दिनांक, मूल्य एवं निर्माता का मार्का एवं पता, आदि स्पष्ट नही होने से अस्वीकार है। जो नमूना 16.10.14 को विश्लेषक जोधपुर को भेजा, जो 17.10.14 को प्राप्त होना संभव है, किन्तु विश्लेषक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (3) की पालना में नमूने का विश्लेषण 14 दिनो के भीतर किया जाना आवश्यक था, किन्तु विश्लेषक ने दिनांक 07.11.14 को 21 दिन बाद विश्लेषण किया है, इसका कोई ठोस कारण परिवाद में स्पष्ट नही है, न ही इस धारा के अन्तर्गत विश्लेषक ने आयुक्त महोदय को 14 दिन में विश्लेषण नही करने का कोई सूचित किया है। जो मिर्च पाउडर परिवादी ने खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी का बिल नं. 1556 दिनांक 03.10.14 जो विनायक खजवाना को बेचा गया है, उस बिल में "श्री निराला" मार्क का कोई हवाला नही है। मिर्च केवल बिल में अंकित है, इस कारण यह प्रमाणित नही होता है कि उक्त मिर्च पाउडर अभियुक्त द्वारा निर्मित था। जो मिर्च पाउडर परिवादी ने बालाजी ट्रेडर्स से खरीदा, वह अभियुक्त द्वारा उसको बेचा गया हो या उसी के द्वारा निर्मित हो, परिवाद में स्पष्ट रूप से अंकित नही है। जो केस मीमो परिवादी ने परिवाद के पेश किया है, उस पर केवल व्यक्ति मुकेश जोशी पुत्र रामबक्श जोशी खजवाना से खरीदा बताया गया है, उस पर फर्म का नाम अंकित नही है। अभियुक्त की तरफ से जो मिर्च पाउडर निर्माण किया जाता हैं। वह शुद्व मिर्च को पीसकर बिना किसी मिलावट के निर्माण किया जाता है, इस मिर्च का प्रयोग बहुत से उपभोक्ताओ द्वारा आज तक किया जाता रहा है। किन्तु आज तक किसी उपभोक्ता ने "श्री निराला मिर्च" के खराब होने का किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडने की कोई शिकायत आज तक पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग को नही की, इससे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा निर्मित "श्री निराला मिर्च पाउडर" शुद्व और उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु एवं स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है। परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्व झूठे तथ्य इकट्ठे कर परिवाद पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। फिर बाद में अप्रार्थी सं. 2 से 6 ने अपने जवाब दिनांक 04.08.16 में बताया कि परिवादी ने जो परिवाद धारा 26(2)(ख) एवं 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में पेश किया है वह अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत पेश नही किया है। उक्त परिवाद में जो धारा 51 लगाई गई है वह अभियुक्त के द्वारा किये गये अपराध से संबंधित नही है। क्योकि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नही किया है। जो धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय हो। 26(2)(ख) में स्पष्ट अंकित है कि अभियुक्त को निर्णीत सामग्री "मिथ्या छाप वाली या अवमानक है" जो अधि. की धारा 52 में दण्डनीय है न कि धारा 51 मे। परिवादी को जो स्वीकृति श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा पत्रांक /12/दिनांक 03.02.15 को दी गई है वह "मिस ब्राण्डेड" पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उप धारा 2(ख) का उल्लघंन तथा 52 के अन्तर्गत की प्राप्त हुई है जबकि परिवादी ने परिवाद धारा 26(2)(ख) तथा धारा 51 मे पेश कर न्यायालय हाजा को गुमराह किया है तथा अभियुक्त को गलत धारा में दण्ड दिलाने का परिवाद पेश कर अभियुक्त को गलत तरीके से फसाने का कृत्य किया है जो अधिनियम की धाराओं के विपरीत है। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 07.11.14 को जारी की गई उसमे किसी प्रकार की मिलावट नही होने का प्रमाण है। इस कारण निर्माणकर्ता द्वारा जो मिर्च पाउडर तैयार कर उपयोग हेतु बेचा जाता है किसी मानव के लिये न तो हानि कारक है न ही स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है।

4. वकील अप्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/658/एक्ट/2014/677 दिनांक 07-11-14 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर "श्री निराला" का नमूना मिसब्रान्डेड पाया गया है। प्रकरण में जिस खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया है। उसकी विश्लेषक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण मिसब्राण्ड का है। प्रार्थी द्वारा इस्तगासा में लिपिकीय त्रुटिवश धारा 52 एफएसएसए एक्ट के स्थान पर 51 का उल्लेख कर दिये जाने मात्र से प्रकरण की प्रकृति/अपराध बदल नही जाता है। प्रकरण इस न्यायालय द्वारा धारा 51 में दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस भी इसी धारा के तहत दिया जाकर प्रकरण का विचारण किया गया है। वस्तुतः नमूना मिसब्राण्ड हुआ है तो उसी धारा के तहत प्रकरण का विचारण किया जाना ही माना जायेगा। अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 मुकेश जोशी पर 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार, अप्रार्थी सं. 2 सुशीला देवी पर 30,000/– अक्षरे रूपये तीस हजार तथा अप्रार्थी सं. 3 से 6 पर संयुक्त रूप से 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख कुल 1,50,000/– अक्षरे रूपये एक लाख पचास हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)